राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3377/2024

देवी सहाय मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2024
आदेश की दिनांक : 25.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्ष 1980 में स्कूल शिक्षा विभाग में एलडीसी के पद पर सेवा में आया था तथा नियमों के प्रावधानों के तहत उचित पदोन्नति प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी संस्थापना अधिकारी के पद से दिनांक 30.6.2019 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी दिनांक 30.6.2019 को सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन अपीलार्थी को दिनांक 1.7.2018 से 30.6.2019 तक एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद एक ग्रेड वेतन वृद्धि भी नहीं दी गई थी। इसी प्रकार का प्रश्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के मामले में आया था और उसका निर्णय 21.7.2023 को हुआ था, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने माना था कि कर्मचारियों ने 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे वर्ष अच्छे आचरण के साथ काम किया और वे 30 जून को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए थे और उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही लंबित नहीं थी, इसलिए संबंधित कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार हैं, जो 1 जुलाई को देय थी, लेकिन उक्त वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें नहीं

दिया गया है क्योंकि वे एक दिन पहले यानी 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित कर्मचारी एक ग्रेड वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने संबंधित वर्ष में 1 जुलाई से 30 जून तक पूरे वर्ष काम किया था, इसलिए इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं के मामले पर नए सिरे से विचार करें और इसलिए याचिकाकर्ताओं को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करें और याचिकाकर्ताओं की पेंशन को फिर से निर्धारित किया जाए और उचित आदेश जारी किए जाएं और याचिकाकर्ताओं को पेंशन का बकाया भुगतान निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाए। वर्तमान अपीलार्थी का मामला उपरोक्त मामले के समान और एक जैसा है, क्योंकि अपीलार्थी 30.6.2019 को सेवानिवृत्त हुआ था और उसने पूरे वर्ष 1.7.2018 से 30.6.2019 तक काम किया और वह 30.6.2019 को सेवानिवृत्त हुआ था। दिनांक 30.6.2019 को आवेदन किया गया था, लेकिन बिना किसी कारण के अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया, जबकि उसने पूरे एक वर्ष तक काम किया है और अपीलार्थी का मामला ऊपर उल्लिखित मामले से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अपीलार्थी ने न्याय की मांग के लिए नोटिस भी भेजा था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उसका जवाब नहीं दिया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई भी अवैध है और अपीलार्थी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून तक पूरे वर्ष काम करने के कारण एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 1.7.2018 से 30.6.2019 तक एक अतिरिक्त ग्रेड वेतन वृद्धि प्रदान का लाभ प्रदान किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना एवं बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए

न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य